Reimbursement of expenditure for obtaining ISO 9000 Certification

आई.एस.ओ. 9000 प्रमाणीकरणः–

औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्राप्त आई.एस.ओ 9000/अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अथवा गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुये व्यय का 50 प्रतिशत अथवा रुपये 1.00 लाख जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(कण्डिका क्रमांक 4.2.8)

मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांकएफ–20–8/ 2005/बी/ग्यारह भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2005

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्य प्रदेश,
भोपाल।

विषयः–गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति।

मध्यप्रदेश की उद्योग संवर्धन नीति–2004 एवं कार्ययोजना के भाग–दो 4.2 ''सहायता एवं सुविधायें'' के बिन्दु 4.2.8 आई.एस.ओ. 9000 प्रमाणीकरण का उद्धरण निम्नानुसार हैः–

''औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्राप्त आई.एस.ओ. 9000/अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अथवा गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय का **50 प्रतिशत** अथवा **1.00** लाख जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।''

उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में राज्य शासन के आदेश क्रमांक–एफ–16–5–94–11–ब दिनांक 13–12–1994 से आई.एस.ओ. 9000 अथवा उसके समतुल्य किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रमाण पत्र प्राप्त करने में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति योजना के पैरा 2 के बिन्दु 1 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

1– दिनांक 1–4–2004 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली औद्योगिक इकाईयों को, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आई.एस.ओ. 9000 अथवा उसके गुणवत्ता प्रमाण पत्र (जिनकी सूची राज्य शासन द्वारा प्रकाशित की जावेगी) प्राप्त करने में किये गये कुल व्यय का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रूपये 1.00 लाख (एक लाख) जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जावेगी। बशर्ते कि प्रमाणीकरण प्राप्त हो और एक साल तक maintained हो।

2– इस योजना के अंतर्गत नवीन उद्योगों को प्रदत्त सुविधाएं कतिपय उद्योगों को उपलब्ध नहीं होगी। अपात्र उद्योगों की सूची राज्य शासन द्वारा पृथक से प्रसारित की जावेगी। शासन द्वारा आवश्यक होने पर समय–समय पर यह सूची संशोधित की जायेगी।

3– उद्योग संवर्धन नीति–2004 एवं कार्ययोजना अंतर्गत विशिष्ट उद्योगों जो निम्नानुसार हैं, को आई.एस.ओ. 9000/अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की जावेगी :–

(अ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (मध्यप्रदेश शासन के पृथक आगम विभाग द्वारा प्रसारित अधिसूचना कमांक–16–6–89–ग्यारह–ब दिनांक 17 जुलाई 1989 के एनेक्जर– III के अनुसार उत्पाद) सूची–परिशिष्ट–''ब'' अनुसार।

(ब) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) संदर्भित बीमार वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को प्रबंधन परिवर्तन के द्वारा अधिग्रहित कर अथवा क्रय कर पुनर्वासित करने पर बी.आई.एफ.आर. द्वारा परिसमापन मत के उपरांत लिक्वीडेशन में लंबित उद्योग तथा राज्य शासन के निगमों एम.पी.स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन या मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा अधिग्रहित इकाईयों को क्रय/अधिग्रहित करने के पश्चात् अन्य इकाई या कंपनी को विक्रय करने पर यदि पुनर्वासित इकाई के स्थायी पूंजी निवेश में अधिग्रहणकर्ता/क्रयकर्ता द्वारा दिनांक 1–4–2004 को या उसके पश्चात् किया गया नवीन पूंजी निवेश पूर्व पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत से अधिक होता है, तथा इकाई द्वारा आई.एस.ओ. 9000 प्रमाणीकरण/अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करता हे तो ऐसी इकाईयों को उक्त प्रमाणीकरण हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु नवीन इकाई के समान की जावेगी।

(स) बीमार लघु श्रेणी उद्योगों के लिए पुनर्जीवन योजना अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा इकाई को बीमार लघु उद्योग इकाई के लिए पुनर्वास योजना स्वीकृत करने के उपरांत पुनर्जीवन पैकेज के अंतर्गत दिनांक 1–4–2004 को या उसके पश्चात् आई.एस.ओ. 9000 प्रमाणीकरण/अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करता है तो ऐसी इकाईयों को उक्त प्रमाणीकरण हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति नवीन इकाई के समान की जायेगी।

4– योजना में उल्लेखित जिला उद्योग केन्द्र के स्थान पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र प्रतिस्थापित किया जाता है।

5– योजना की शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

इस प्रयोजन के लिए वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा उनके पत्र क्रमांक 38–आर/1219/ब–2 दिनांक 22/1/2005 से इस शर्त पर स्वीकृति प्रदान की गई कि इस हेतु इस वर्ष अतिरिक्त बजट उपलब्ध नहीं कराया जावेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से एवं
आदेशानुसार
हस्ता/–
(विश्वपति त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पृष्ठांकन क्रं.एफ 20—8 / 05 / बी / ग्यारह भोपाल, दि0 23 फरवरी 2005

प्रतिलिपिः—

1— सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल की ओर महालेखाकार कार्यालय को पृष्ठांकित करने बाबत्।

2— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश, ग्वालियर।

3— महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) मध्यप्रदेश, ग्वालियर।

4— प्रबंध संचालक, एम.पी.स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.भोपाल।

5— प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पो0 लिमि. भोपाल ।

हस्ता / —

(राजकुमार पाठक)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

आई.एस.ओ. – 9000 की प्रतिपूर्ति राशि हेतु आवेदन–पत्र

1	इकाई का नाम व पता	
2	इकाई का प्रकार स्वामित्व/भागीदारी/प्रा.लि./लिमिटेड कम्पनी	
3	इकाई का स्थल विवरण	स्थान ब्लाक तहसील जिला
4	स्थायी पंजीयन/आई.ई.एम. लाईसेंस का क्रमांक एवं दिनांक (प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)	
5	इकाई के उत्पाद क्षमता एवं उत्पादन दिनांक (उत्पादन प्रमाण की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करे)	
6	किस उत्पाद हेतु आई.एस.ओ. 9000 या समतुल्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया है	आयटम क्षमता उत्पादन दि.
7	आई.एस.ओ. 9000 या समतुल्य प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं दिनांक (प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)	
8	आई.एस.ओ. 9000 या समतुल्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु उन दस्तावेजों का विवरण जो किये गये व्यय की पुष्टि करते हों। (प्रमाणित प्रतियों सहित)	
9	आवेदक लघु उद्योग/सहायक उद्योग है तो उसके द्वारा ऐसा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह दर्शाया गया हो कि आवेदक द्वारा भारत शासन की उल्लेखित योजना के अंतर्गत दावा प्रस्तुत किया गया था लेकिन भारत शासन द्वारा निर्धारित संख्या (प्रकरणों) में प्रतिपूर्ति की जाने के कारण प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकी। अथवा भारत शासन की उल्लेखित योजनान्तर्गत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया एवं भविष्य में उनके द्वारा भारत शासन को कोई आवेदन पत्र उक्त योजना अंतर्गत लाभ लेने के लिये नहीं दिया जायेगा।	
10	अन्य कोई जानकारी	

मैं घोषण करता हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सही है एवं मेरे द्वारा किसी भी रूप में गलत तरीके से प्राप्त की गई अनुदान राशि को देय ब्याज सहित वापस करने हेतु बाध्य रहूंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्य योजना में ''सहायता एवं सुविधाएं'' (परियोजना प्रतिवेदन व्यय प्रतिपूर्ति, आई.एस.ओ. 9000 प्रमाणीकरण, पेटेंट हेतु सहायता) अंतर्गत अपात्र उद्योगों की सूची

(पुनरीक्षित)

(उद्योग संवर्धन नीति–2004 की कंडिका क्र. 4.2.7, 4.2.8 एवं 4.2.9 के अंतर्गत)

1. स्लाटर हाउस,
2. एरियेटेड कोल्ड ड्रिंक्स (पल्प पर आधारित कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़कर)
3. तम्बाकू एवं तम्बाकू पर आधारित उत्पाद,
4. मदिरा,
5. पान मसाला,
6. गुटखा

7– अन्य ऐसे उद्योग जो कि राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये जावें।

–––0–––